फर्द अहकाम

चौथी देवी बनाम संज्या देवी व अन्य

वाद संख्या 164/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
0.09.2024	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 12.09.2023 को अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 ता 7, 9 ता 14 की ओर से आदेश दिनांक 03.02.2016 के क्रम में जवाब दावा तथा प्रतिवादीगण 3, 8 की ओर से वकालतनामा दिनांक 15.02.2013 के क्रम में जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 16, 17 की तलवी अपेक्षित है। दिनांक 13.05.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 16 व 17 बावजूद रजिस्टर डाक सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 16 व 17 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 15 की ओर से जवाब दावा पेश नही। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 15 का जवाब देही बन्द की गई। दिनांक 03.09.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित, वादी गवाह पी0डब्ल्यू 1 चौथी देवी के मुख्य परीक्षण करवाये। वादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करवाने चाहते है। प्रतिवादीगण की पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। बहस हेतु आगामी तारीख पेशी 10.09.2024 नियम की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम [illegible]केश्यावाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मु[illegible] तहसील [illegible] जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 641/[illegible] रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 675/1 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:19:29 IST
Reason: SelfAttested

09.2024

फर्द अहकाम
चौथी देवी बनाम संज्या देवी व अन्य

वाद संख्याः 164/2024

02 कुल रकबा 0.67 हैक्टर भूमि वादिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर वादिया के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण बाहुबल के आधार पर किसी प्रकार की दखलंदाजी, हस्तक्षेप, निर्माण, मुख्ता तामीरात व किसी प्रकार का व्यवधान आदि ना तो स्वयं करे और ना ही अपने परिवारजन, एजेन्ट सर्वेन्ट आदि से करावे तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

ब्हस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीया की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाता है। वादिया सीमाज्ञान का प्रार्थना तहसीलदार सांगानेर को पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादिया से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वादिया की वाके ग्राम केश्यावाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 641/1 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 675/1 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर की सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह कायम करे। यदि वादीया की उक्त भूमि की सीमाज्ञान है तो उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर सीमाचिन्ह कायम करे। सीमाज्ञान होने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीया की भूमि की सीमा में दखल नही दे।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.11 15:19:29 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर